

FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत..... सहायक कलक्टर (SDO)..... मुकाम.....

बायतु

..... पद्मराम बनाम अनिलराम गोरे

किस्म मुकदमा..... 111/128 नं..... 115 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.3.18	<p>प्राथी/वादी/अपीलांट के वकील श्री 27.03.18 11.128 RLR</p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111/128 RLR</p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्राथी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 27.3.18 को पेश हो।</p>	
27/03/18	<p>प्राथी वहील उपस्थित। विप्राथीगणों के नोटिस तामिल बुझा जात जिसे शामिल पत्रावली विभा जमा। विप्राथीगण वावजुड तामिल प्रतुपस्थित। प्राथी के अधिनस्थ की एडवोकेट कानून दुनीगरी प्राथी के अधिनस्थ के बालका की प्राथी के पत्रे खालेगी खेले के चारों तरफ पत्रे नेयम तथा पित डरवाना कावेडन है इसलिए प्राथी डर नेयमबन्नी कावेडन स्वीडर विभा जाडर नेयमबन्नी कावेडन विभा जावे। तल: प्राथी डर नेयमबन्नी कावेडन स्वीडर विभा जाडर तयसीलार वावजु डी डमिशन निरुक्त विभा जाला है व सोश विभा जाला है डि प्राय स्वमं या कयने अधिनस्थ विभा भी व अधिलेख निरिस्तु के प्राथी के खालेगी खेले की पत्रे नेयमबन्नी मोडे वर बुलड जमाडरडर डरे पालना रिपोर्ट प्रस्त होने पर शामिल पत्रावली है, पत्रावली मैमल शुमार है दर्ज नम्बर के डम है, दाखिल इम्तल है।</p>	

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

कमांक/वाद/2018/ 406

दिनांक:-27/03/2018

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. पदमाराम पुत्र गोमाराम जाति जाट
निवासी हेमाणियों का तला (बाटाडु)
तहसील बायतु जिला बाड़मेर

1. अचलाराम पुत्र मगाराम वगैरा 16
जाति जाट निवासी हेमाणियों का तला
तहसील बायतु(बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 115/18

आदेश

मौजा हेमाणियों का तला पटवार हल्का बाटाडु तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 1575/1526, रकबा 6.11 बीघा की भूमि के चारों तारफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतू तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भूअ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेत का सीमा ज्ञान कर प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी गिड़ा/बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतू अधिकृत किया जाता है।



कमांक/वाद/2018/ 407-411

सहायक अधिकारी (SDC)
बायतु
दिनांक:- 27/03/2018

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी बाटाडु को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री पदमाराम वगैरा
4. विप्रार्थी श्री अचलाराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा/बायतु।

सहायक अधिकारी (SDC)
बायतु